फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री दीपलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य
किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 162/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनाक : 03.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः विपक्षी संख्या 1 से 5 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त अराजी न. 3392 प्रार्थी के नाम दर्ज रेकर्ड है। नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 3392 के रकबे में परिवर्तन कर दिया गया है जिसे शुद्ध कर साबिक रेकर्ड अनुसार किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया तथा अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि आराजी सं. 3384 रकबा 0.98 है. किस्म बारानी प्रथम खातेदार श्री लक्ष्मीलाल पिता भगवानलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। यह कि आराजी सं. 3385 रकबा 0.5300 है. किस्म बारानी प्रथम खातेदार श्री प्रभुलाल पिता शंकरलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण एवं मोहनी पत्नी शंकरलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण दर्ज एवं विरासत नामान्तरणधीन है। यह कि खसरा संख्या सं. 3388 रकबा 0.5200 है. किस्म बारनी प्रथम खातेदार भूरालाल पिता मगनीराम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार रहन (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक भीण्डर के नाम दर्ज है। यह कि खसरा सं. 3389 रकबा 1.0700 है. किस्म बारानी प्रथम खातेदार ओंकारलाल पिता सवराम ब्राह्मण हिस्सा पूर्ण राहिन (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा के नाम दर्ज है। यह कि खसरा संख्या 3392 रकबा 1.0700 है. किस्म बारानी प्रथम खातेदार दीपलाल पुत्र उदयलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि प्रार्थी श्री दीपलाल ने राजस्व ग्राम वरणी में नवीन खसरा न. 3384, 3385, 3388 में भूमि ज्यादा होना व खसरा नं. 3389, 3392 में भूमि कम होना वाद में बताया गया जिसमें नवीन खसरा नं. 3384 रकबा 0.98 है. में साबिक आराजी न. 1830 मी. रकबा 4 बिघा 7 बिस्वा के मुकाबले रकबा 0.03 है. ज्यादा व खसरा सं. 3385 रकबा 0.53 है. में साबिक आराजी नं. 1830 मी. रकबा 2–05 बिघा के मुकाबले 0.05 है. ज्यादा व नवीन आराजी न. 3388 रकबा 0.52 है. में साबिक आराजी न. 1830 मी. रकबा 2–05 बिघा के मुकाबले 0.04 है. ज्यादा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वहीं आराजी सं. 3389 रकबा 1.07 है. साबिक आराजी नं. 1830 मी. रकबा 5–10 बिघा के मुकाबले 0.06 है. कम रकबा व आराजी सं. 3392 रकबा 1.07 है में साबिक आराजी 1830 मी. रकबा 5–10 बिघा के मुकाबले 0.06 है. कम रकबा दर्ज है जबकि वर्तमान (नक्शा ट्रेस) में मौके पर राजस्व नक्शे की तरमीम साबिक आराजी के अनुसार सही दर्ज है। यह कि नवीन आराजी सं. 3384, 3385 व 3388 राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2078–81 अनुसार तीनों खसरे में रकबा क्रमशः 0.03, 0.05 व 0.04 है. ज्यादा दर्ज जबकि खसरा सं. (वर्तमान) 3389 व 3392 में रकबा क्रमशः 0.06 है. व 0.06 है. में कम दर्ज है। तहसीलदार भीण्डर

द्वारा खसरा सं. 3384, 3385 व 3386 में से कुल रकबा 0.12 है. कम किया ज
सं. 3389 व 3392 में रकबा 0.12 है. जोडे जाना उचित बताया साथ ही
आराजी सं. 3384, 3385, 3388 का वक्त सेटलमेंट रकबे की वृद्वि की गई
वर्तमान (नक्शा ट्रेस) में मौके पर राजस्व नकशे की तरमीम साबिक आराजी
सही दर्ज है।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है
आराजी के मुकाबले नवीन आराजी न. 3384, 3385 व 3388 के रकबे में वृद्वि
नवीन आराजी न. 3389, 3392 के रकबे में साबिक आराजी न. के मुकाबले
जिससे तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी न. 3384 के रकबे में से 0.03 है. क
न. 3385 के रकबे में से 0.05 है. कमी, आराजी न. 3388 के रकबे में से 0.
कमी कर, आराजी न. 3389 के रकबे में 0.06 है. की वृद्धि व आराजी न. 339
0.06 है. की वृद्वि किया जाना प्रस्तावित किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी
यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान नक्शा ट्रेस में साबिक नक्शा ट्रेस के मुका
प्रकार का परिवर्तन नहीं है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की वर्तमान नक्शे की तरमीम सा
के मुकाबले सही है।

अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर
प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधि
स्वीकार किया जाता है कि मौजा वरणी पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्ड
उदयपुर राज की जमाबंदी संवत् 2078—81 में आराजी न. 3384 के रकबे में से
कम किया जाकर, आराजी न. 3385 के रकबे में से 0.05 है. कम किया जाकर,
न. 3388 के रकबे में से 0.04 है. कम किया जाकर (कुल रकबा 0.12 है. क
जाकर), आराजी न. 3389 के रकबे में 0.06 है. की वृद्वि की जाकर, आराजी न. 3
रकबे में 0.06 है. (कुल रकबा 0.12 है. की वृद्वि की जाकर) की वृद्वि की जाक
अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आरा
तरमीम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को
जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।